खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0028/2017

ईश्वरदास पुत्रश्री हरबंसलाल, मैसर्स राधे ऑयल मिल दुकान नं. 30, जवाहर मार्केट, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर (राज.)

––अपीलार्थी

विरूद्व

1. राजस्थान राज्य
2. प्रदीप कुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

––प्रत्यर्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य

:: निर्णय :: दिनांक : 04.07.2018

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 17.03.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 31/2015 प्रदीप कुमार बनाम मैसर्स राधे ऑयल मिल में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट को Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, Regulation No. 2.3.15.1(b) के तहत 50,000 रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलार्थी दिनांक 27.05. 2015 को सरसों का तेल श्रीगंगानगर में विक्रित कर रहा था, उक्त सरसों का तेल खुला विक्रित कर रहा था। खााद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपीलार्थी से सरसों के तेल का सैम्पल खरीद किया जो बाद जांच सही मानक का पाया गया परन्तु अपीलार्थी तेल का विक्रय पैकिंग में नहीं कर खुले का कर रहा था। इसप्रकार अपीलार्थी के द्वारा Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, Regulation No. 2.3.15.1(b) का उल्लंघन बताया जिस बाबत अपीलार्थी पर बाद सुनवाई 50,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

3. अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि अपीलार्थी लघु व्यवसायी है, 50,000 रूपये अधिरोपित शास्ति अत्यधिक है, अपीलार्थी को धारा 31 की उपधारा 02 के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाए।

4. प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान 2011 से लागू हुए है जिसका अभी तक पूर्ण प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, अपीलार्थी पर 50,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। ऐसी स्थिति में शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 31/2015 प्रदीप कुमार बनाम मैसर्स राधे ऑयल मिल में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थी को Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, Regulation No. 2.3.15.1(b) को दोषी मानकर अपीलार्थी पर 50,000 रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की गई, उसके स्थान पर 20,000रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अपीलार्थी अधिरोपित शास्ति जमा कराकर रसीद पेश करे। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर